राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांक : डीसी/ए–2/2019/ दिनांकः

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।
समस्त कर्मचारी/कम्प्यूटर ऑपरेटर
जिला औषधि नियंत्रण संगठन (जरिये सहायक औषधि नियंत्रक)
समस्त औषधि विक्रेता, राजस्थान जरिये
राजस्थान केमिस्ट एशोसियेशन एवं जिला केमिस्ट एशोसियेशन।

विषयः– खुदरा एवं थोक औषधि विक्रय के ऑफलाईन औषधि अनुज्ञापत्रों को ऑनलाईन करने बाबत्।

संदर्भः– संगठन का पत्र क्रमांक डीसी/ए–2/2018/598 दिनांक 18.12.2018 एवं श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा दिनांक 26.12.2018 को उनके कक्ष मे की गई समीक्षा के क्रम में जारी संगठन का पत्रांक 620 दिनांक 27.12.2018 तथा पत्रांक डीसी/ए–2/2019/30 दिनांक 15.01.2019, पत्रांक डीसी/ए–2/2019/78 दिनाक 31.01.2019, पत्रांक 152 दिनांक 20.02.2019, 188 दिनाक 28.02.2019 एवं 209 दिनांक 18.03.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि खुदरा एवं थोक औषधि विक्रय के ऑफलाईन औषधि अनुज्ञापत्रों को ऑनलाईन किये जाने बावत् संगठन द्वारा पूर्व में समय–समय पर निर्देशित किया गया था

राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के द्वारा रजिस्टर्ड फार्मासिस्टो के रजिट्रेशन प्रमाण पत्रों/रजिट्रेशन प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण का कार्य बाधित है एवं इसके संबंध में प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। संगठन की ऑन लाईन लाईसेन्सिग प्रक्रिया रजिस्टर्ड फार्मासिस्टो के सबंध मे राजस्थान फार्मेसी काउंसिल से लिंक की हुई है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि संबंधित औषधि विक्रेताओं/रजिस्टर्ड फार्मासिस्टो को उपयुक्त समय प्रदान किया जाना उचित प्रतीत है।

अतः खुदरा एवं थोक औषधि विक्रय के ऑफलाईन औषधि अनुज्ञापत्रों को ऑनलाईन करने की समय सीमा को दिनांक 15.04.2019 से बढाकर दिनांक 15.05.2019 किया जाता है एवं यह अपेक्षा की जाती है कि दिनांक 15.05.2019 तक समस्त ऑफलाईन औषधि अनुज्ञापत्रों को ऑनलाईन कर दिया जावें। यह भी विदित हो कि संगठन स्तर पर समीक्षा कर कार्य पूर्ण ना करने वाले/कार्य पूर्ण ना करने में शिथिलता बरतने वाले जिलों के अधिकारियों/कर्मचारियों को श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के द्वारा आगामी तारीख मे ली जाने वाली समीक्षा बैठक में उपस्थित होने के लिये बुलाया जावेगा।

उल्लेखनीय है कि यदि कोई औषधि विक्रेता दिनांक 15.05.2019 से पूर्व खुदरा एवं थोक औषधि विक्रय के ऑफलाईन औषधि अनुज्ञापत्रों को ऑनलाईन नहीं कराता है तो उनके औषधि अनुज्ञापत्र के निरस्त/निलम्बन के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। तथा इस कार्य को पूर्ण करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता यदि किसी अधिकारी एवं कर्मचारी के स्तर से पाई जावेगी तो उनके विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित किये जावेंगे।

(अजय फाटक)
औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर

क्रमाक : डीसी/ए–2/2019/284 दिनांकः 18/4/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान अति0 मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. औषधि नियंत्रक– प्रथम, राजस्थान जयपुर।
3. प्रभारी सर्वर रूम निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुये सबंधितों को ई–मेल करावें।
4. अध्यक्ष एवं सचिव राजस्थान केमिस्ट एशोसियेशन, जयपुर / समस्त जिला केमिस्ट एसोशियेशन, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि खुदरा एवं थोक औषधि विक्रय के ऑफलाईन औषधि अनुज्ञापत्रों को ऑनलाईन करने के संबंध में जिले के अधिकारियों को यथा सहयोग प्रदान करें एवं अपने स्तर से सभी केमिस्टो को औषधि अनुज्ञापत्रों को ऑनलाईन करने के लिये SSO ID Create करते हुये संबधित दस्तावेज/जानकारी अपलोड करने हेतु निर्देशित करे, जिसके लिये ई–मित्र कियोस्क की सहायता भी ली जा सकती है।
5. समस्त औषधि विक्रय सी एण्ड एफ/डिपो/डिस्ट्रब्यूटर्स, राजस्थान।

(अजय फाटक)
औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर